F. No. A-50013/176 /2019-प्रशा.

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

***

श्रम शक्ति भवन, रफ़ी मार्ग

नई दिल्ली , दिनांक 04 जनवरी , 2021

कार्यालय आदेश सं. 03/2021

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति द्वारा श्री एम ० सी० भारद्वाज, संयुक्त निदेशक, राजभाषा (सेवा निवृत्त) की हिन्दी अनुभाग में सलाहकार (कंसल्टेंट) के रूप में संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए रु 49,900/- प्रति माह के अपरिवर्तनीय मानदेय पर नियुक्ति की जाती है | नियुक्ति की तिथि कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी |

2. सलाहकार के रूप मे उनकी नियुक्ति के मुख्य नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

i. परामर्श (कंसल्टेंसी) की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो |

ii. परामर्श की अवधि के दौरान रू 49,900/- प्रति माह का समेकित शुल्क (कोई महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते रहित) स्वीकार्य होगा |

iii. आधिकारिक यात्रा के लिए यात्रा भत्ता इत्यादि को सेवानिवृत्ति कि तिथि पर पात्रता के अनुसार सामान्य नियमो के अनुरूप अनुमन्य किया जायेगा |

iv. कंसल्टेंट एक कलेंडर वर्ष में 8 दिनों कि छुट्टी के लिए प्रो-राटा आधार पर पात्र होगा |

v. अन्य नियम और शर्ते, नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार लागू होंगी जो इस विभाग के कार्यलय ज्ञापन सं. A-12034/01/2015-Admn. दिनांक 9 जून, 2017 के साथ साथ भारत सरकार कि मौजूदा निर्देशों के द्वारा शासित होंगी |

vi. नियम और शर्तों आदि की व्याख्या से सम्बंधित किसी भी संदेह की स्थिति में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग का निर्णय अंतिम होगा |

3. यह व्यय वर्ष 2020-21 के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की डिमांड सं. 61 के तहत 3451.00.090.16.01.28-प्रोफेशनल सर्विसेज (नॉन-प्लान) हेड के तहत देय होगा |

अशोक कौशिक

(अशोक कुमार कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23738126

प्रति लिपि :

1. सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) के प्रधान निजी सचिव |
2. रोकड़ अनुभाग (2 प्रतियाँ), जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग |
3. वेतन और लेखा अधिकारी, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग |
4. श्री एम ० सी० भारद्वाज, संयुक्त निदेशक, राजभाषा (सेवा निवृत्त), कंसल्टेंट, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग |
5. सामान्य प्रशासन/ सतर्कता अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग
6. हिंदी अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग
7. मंत्रालय का इन्टरनेट